Date :- 29/5/2020	Degree Part-2 (Hons.)
Content Writer :-	Paper - II
Dr. Abhay Kumar Bhathak	Content of Paper :-
Deptt. of Economics,	Indian Economy
Marwari College,	Module :- 5
Darbhanga (LNMU)	

TOPIC :- PROGRAMMES FOR REMOVAL OF POVERTY IN INDIA. (भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम)

Scanned with CamScanner

कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत सरकार ने गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने तथा अपने देशवासियों विशेषकर पिछड़े एवं सुविधाविहीन वर्गों की समृद्धि एवं विकास के लिए समस्त नियोजित एवं सघन प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही चला रखा है।

सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक नीति का प्रमुख उद्देश्य गरीबी पर कारगर ढंग से आक्रमण करना है। अधिक रोजगार सृजित करने, उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने, तकनीकी, उद्यम संबंधी कौशल का प्रशिक्षण देने तथा अत्यन्त गरीबों के आय के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन संबंधी कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है:-

(1) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA):-

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मनरेगा' भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य उस प्रत्येक परिवार को, जिसके प्रौढ़ सदस्य स्वेच्छा से बिना कौशल के शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। यह महिलाओं की लगभग 33% भागीदारी भी सुनिश्चित करना है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देना है। खाली के दिनों में विभिन्न

राज्यों में कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित श्रमिकों को इस योजना के माध्यम से ही रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)/ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY):-

1 अप्रैल, 1999 से पूर्ववर्ती एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सम्बद्ध कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके प्रारंभ की गयी थी। इस योजना उद्देश्य स्वरोजगारियों को बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी के माध्यम से स्वसहायता समूहों में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्संरचना की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार तथा कौशल मजदूरीवाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाकर गरीबी घटाना है।

(iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):-

25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गयी 100% केन्द्र प्रायोजित इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम असम्बद्ध क्षेत्रों को सभी मौसमों में सड़कों से जुड़े रहने की व्यवस्था करना है।

(iv) इन्दिरा आवास योजना (IAY) :-

यह एक केन्द्र प्रायोजित आवासन योजना है जिसमें केन्द्र एवं राज्य द्वारा खर्च की भागीदारी 75:25 के अनुपात में की जाती है। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले खासकर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलता है।

(v) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) :-

इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगारों के लिए लाभप्रद योजना उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर अब दीनदयाल अन्त्योदय योजना / राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया है।

(vi) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) :-

इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र हेतु ऋण सीमा 2 लाख एवं उद्योग क्षेत्र के लिए 5 लाख रू तक निर्धारित की गयी थी। इस योजना में सरकार द्वारा प्रति उद्यमी अनुदान प्रदान की जाती थी। इस योजना में 1 अप्रैल, 1994 को SEEUY योजना का विलय कर दिया गया। 15 अगस्त, 2008 से प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में इस कार्यक्रम को भी समन्वय कर दिया गया।

Scanned with CamScanner

(VII) अन्नपूर्णा योजना :-

1 अप्रैल 2000 से शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के असहाय वृद्ध नागरिक जिसे वृद्धावस्था पेन्शन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हे 10 किग्रा० प्रति माह नि:शुल्क राशन प्रदान करना है।

(VIII) अन्त्योदय अन्न योजना :-

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के अंतर्गत आनेवाले व्यक्तियों को प्रतिमाह 35 किग्रा० अनाज गेहूँ एवं चावल का मूल्य क्रमशः 2 रू० एवं 3 रू० प्रति किग्रा० की दर उपलब्ध कराना है।

(IX) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :-

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को नि:शुल्क गैस चूल्हा का कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत देश के 5 करोड़ व्यक्तियों को लाभार्थी के रूप में लक्ष्य रखा गया है।

उपरोक्त गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करनेवाले व्यक्तियों की दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से विजन : 2020 फार इण्डिया नाम से एक दस्तावेज जारी किया गया है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा गरीबी उन्मूलन को अगले बीस वर्षों में मूर्त रूप दिया जा सके।